राजस्थान–सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, (सहायता)सलूम्बर (राज.)

क्रमांकः–एफ.04( )बाढ़ / सहायता / प्र.स्वी. / 2025 / 578 दिनांकः– यथा हस्ताक्षर

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा / बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय / चिकित्सा आंगंनबाडी / पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु उपखण्ड अधिकारी सराडा के द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ–8(23) आ.प्र. एवं सहा. / बाढ / प्रस्ताव / 2025 / राजकाज 18510220 जयपुर दिनांक 29.10.2025 के क्रम में आई.सी.डी.एस. ब्लॉक जयसमंद तह.सराडा के 35 कार्य हेतु राशि रूपये 68.50 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी ऐजेन्सी :– ग्राम पंचायत

क्र. सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्मपति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति / सड़क का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से स्वीकृत मरम्मत योग्य राशि लाखो में लाखों में
1	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	आमरा	2.5	2.5
2	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	डांगी खेडा	2.5	2.5
3	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	धावडिया	2.5	2.5
4	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	कतिला 1	2.5	2.5
5	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	महुवाडा	2.5	2.5
6	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	खाखदरा	2.5	2.5
7	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	नेवातलाई 1	1.5	1.5
8	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	नेवातलाई 3	2	2
9	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	गामडी 1	1.5	1.5
10	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	बगुरवा	1.5	1.5
11	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	जन्नाट मंगरी	2.5	2.5
12	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	बडगांव 2	2	2
13	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	बुटावला	1.5	1.5
14	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	पादडी	2.5	2.5
15	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	सल्लाडा 1	1.5	1.5
16	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	सल्लाडा 2	2	2
17	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	बुटवास	2.5	2.5
18	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	खलुडी मंगरी	1.5	1.5
19	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	तलाई	1.5	1.5
20	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	जरियाणा	1.5	1.5
21	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	पलोदडा 2	2	2

22	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**पलुना**	**1.5**	**1.5**
23	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**गातोड 1**	**2.5**	**2.5**
24	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**खांखल**	**1.5**	**1.5**
25	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**बाबरमल**	**1.5**	**1.5**
26	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**केवडा खुर्द 1**	**2**	**2**
27	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**पिपलदरा**	**2**	**2**
28	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**सिंघटवाडा**	**2**	**2**
29	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**सुसाला**	**2.5**	**2.5**
30	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**यामपुरा**	**1.5**	**1.5**
31	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**भागल फला**	**2**	**2**
32	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**अमरपुरा**	**2.5**	**2.5**
33	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**बोवस**	**1.5**	**1.5**
34	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**कतिला 2**	**1.5**	**1.5**
35	जयसमंद	आंगनवाडी भवन	**गातोड 2**	**1.5**	**1.5**
			TOTAL	68.50	68.50

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावे :—

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWF & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभााग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय—समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।
5. ये सम्पतिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा—निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जायें।
10 कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

13. उक्त स्वीकृति के विरूद्ध क्षतिग्रस्त सम्पति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य कराऐं जा सकेंगें।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्षा 2025—26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :—

2245—प्राकृतिक विपति के कारण राहत

02—बाढ़ चक्रवात आदि।

107— खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्म्त तथा पुनः स्थापना

(02)—(बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्म्त)

(01)— (बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्म्त)

21— अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर,
सलूम्बर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काय्रवाही हेतु :—

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर ।
3. उपखण्ड अधिकारी, सराडा।
4. तहसीलदार सराडा
5. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सलूम्बर।

6 बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयसमंद।

7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला सलूम्बर।
8. सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जिला सलूम्बर।
9. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर,
सलूम्बर

Document certified by Avdhesh Meena <osd.salumber@gmail.com>.

Digitally Signed by AVDHESH MEENA
Designation : Collector & District Magistrate
Date :30-10-2025 05:35:57

RajKaj Ref No.: 18556164

eSign DSC

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः– एफ.8(23)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 185/2025–26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. **विद्यालय भवन हेतुः–**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **विद्यालय भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव कमांक 528 दिनांक 09.09.2025 के आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, झल्लारा तह. झल्लारा के 181 कार्यो हेतु राशि रूपयें 362.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सराड़ा तह. सराड़ा के 15 कार्यो हेतु राशि रूपयें 30.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जयसमंद तह. जयसमंद के 118 कार्यो हेतु राशि रूपयें 236.00 लाख एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सेमारी तह. सेमारी के 114 कार्यो हेतु राशि रूपयें 228.00 लाख **कुल 428 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 856.00 लाख (अक्षरे रूपये आठ करोड़ छप्पन लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

2. **चिकित्सा भवन हेतुः–**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **चिकित्सा भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव कमांक 528 दिनांक 09.09.2025 के आधार पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सलूम्बर तह. सलूम्बर के 06 कार्यो हेतु राशि रूपयें 11.00 लाख, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जयसमंद तह. सराड़ा के 20 कार्यो हेतु राशि रूपयें 40.00 लाख, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लसाड़िया तह. लसाड़िया के 02 कार्यो हेतु राशि रूपयें 4.00 लाख एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेमारी तह. सेमारी के 04 कार्यो हेतु राशि रूपयें 8. 00 लाख, **कुल 32 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 63.00 लाख (अक्षरे रूपये तिरेसठ लाख रूपये मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

3. **आंगनबाडी भवनों हेतुः–**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **आंगनबाडी भवनो** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव कमांक 528 दिनांक 09.09.2025 के आधार पर आई.सी.डी.एस. ब्लॉक सराड़ा तह. सराड़ा के 43 कार्यो हेतु राशि रूपयें

Validity unknown

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:41:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.
185...

eSign 1.0

83.50 लाख, आई.सी.डी.एस. ब्लॉक जयसमंद तह. जयसमंद के 35 कार्यो हेतु राशि रूपयें 68.50 लाख एवं आई.सी.डी.एस. ब्लॉक लसाड़िया तह. जयसमंद के 62 कार्यो हेतु राशि रूपयें 155.00 लाख **कुल 140 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 307.00 लाख (अक्षरे रूपये तीन करोड़ सात लाख रूपये मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

4. <u>पंचायत/राजकीय भवनों हेतु:–</u>

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **पंचायत/राजकीय भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 528 दिनांक 09.09.2025 के आधार पर पंचायत समिति, सलूम्बर तह. सलूम्बर के 10 कार्यो हेतु राशि रूपयें 20.00 लाख, पंचायत समिति, सलूम्बर तह. सराड़ा के 02 कार्यो हेतु राशि रूपयें 5.00 लाख एवं पंचायत समिति, जयसमंद तह. सराड़ा के 88 कार्यो हेतु राशि रूपयें 220.00 लाख **कुल 100 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 245.00 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड़ पेंतालीस लाखरूपये मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

कुल 428 विद्यालय भवनों हेतु राशि रूपयें 856.00 लाख एवं कुल 32 चिकित्सा भवनों हेतु राशि रूपयें 63.00 लाख, कुल 140 आंगनबाडी भवनों हेतु राशि रूपयें 307.00 लाख एवं कुल 100 पंचायत/राजकीय भवनों हेतु राशि रूपयें 245.00 लाख कुल 700 कार्यो हेतु राशि रूपयें 1471.00 लाख (अक्षरे रूपये चौदह करोड इकहत्तर लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे कार्य जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

Validity unknown

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:41:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18510220
eSign 1.0

9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

11. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)–(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

[01]–[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशता)

12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमत्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।

13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।

15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।

16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

Validity unknown

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:41:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18510220

eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, **सलूम्बर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सलूम्बर तह. सलूम्बर के विद्यालय भवन मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया है उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है, उक्त वर्षा अत्यधिक वर्षा की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेमारी तह. सेमारी के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 01, 03, 10, 23, 31 एवं 36 में सीएचसी एवं पीएचसी हेतु राशि 11.00 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय है। प्रस्ताव के शेष कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है।

मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सराड़ा तह. सराड़ा के चिकित्सा भवन के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 01 में चिकित्सा आवास एवं क्र. स. 02 से 25 पर उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु राशि की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लसाड़िया तह. लसाड़िया के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 01 एवं 02 में सीएचसी एवं पीएचसी हेतु राशि 4.00 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय है। प्रस्ताव के शेष कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है।

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, सेमारी तह. सेमारी के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 01, 02, 03 एवं 04 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु राशि 08.00 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय है। प्रस्ताव के शेष कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है।

पंचायत समिति, जयसमंद तह. सराड़ा के राजकीय/पंचायत भवन मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 03, 04, 05, 39, 40, 47, 48, 52, 54, 58, 60, 63, 73, 74, 79, 81, 84, 91, 92, 95, 96, 98, 109, 110, 111 एवं 114 में यात्रि प्रतिक्षालय, विश्रान्ति गृह, खाद्यान भण्डार, शमशान घाट आदि हेतु राशि 65.00 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। अतः कुल 114 कार्यों में से 26 कार्य कम करते हुए शेष 88 कार्यों हेतु राशि रू. 220.00 लाख स्वीकृत किये गये है।

पंचायत समिति, झल्लारा तह. झल्लारा एवं पंचायत समिति, सेमारी के क्र.सं. राजकीय/पंचायत भवन मरम्मत प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग

Validity unknown

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:41:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18510220

eSign 1.0

से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नही आती है उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

स्वच्छ परियोजना अधिकारी, लसाडिया तह. लसाडिया एवं स्वच्छ परियोजना अधिकारी, सेमारी तह. सेमारी के प्रस्तावों में मॉ–बाडी भवनों हेतु राशि की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स मे अनुमत नहीं होने के कारण प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सेमारी तह. सेमारी के विद्यालय भवन, मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नहीं आती है। अतः उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेमारी तह. सेमारी के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नहीं आती है। अतः उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

ब्लॉक आई.डी.सी.एस. सेमारी तह. सेमारी के आंगनबाडी मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नहीं आती है। अतः उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

8. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
9. कोष कार्यालय, सलूम्बर।

शासन उप सचिव

Validity unknown

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:41:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18510220
eSign 1.0

कार्यालय पंचायत समिति जयसमन्द जिला सलूम्बर (राज.)

क्रमांकः–एफपसंज / निर्माण / 2025–26 / 1035 दिनांकः–10 / 11 / 2025

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
जिला सलूम्बर।

विषयः– SDRF अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त करवाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके कार्यालय के राजकाज पत्रांक 18578165 दिनांक 31 / 10 / 2025 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है किन्तु उक्त कार्य पूर्ण कराये जाने सम्भव नहीं है।

अतः आप श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृती निरस्त कराने का श्रम करावे।

क्र.सं	प्रशासनिक स्वीकृति में क्र.सं	कार्य का नाम/विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक	वि.वि.
1	3	आंगनवाडी भवन कतिला 1	18556164/30-10-2025	प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना में स्वीकृत
2	5	आंगनवाडी भवन महुवाडा	18556164/30-10-2025	प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना में स्वीकृत
3	8	आंगनवाडी भवन नेवातलाई 3	18556164/30-10-2025	प्रशासनिक स्वीकृत की स्वीकृत राशि में कार्य कराना सम्भव नहीं है।
4	13	आंगनवाडी भवन बुटावला	18556164/30-10-2025	पूर्णतः जर्जर मरम्मत योग्य नहीं है।
5	14	आंगनवाडी भवन पादडी	18556164/30-10-2025	पूर्णतः जर्जर मरम्मत योग्य नहीं है।
6	15	आंगनवाडी भवन सल्लाडा 1	18556164/30-10-2025	पूर्णतः जर्जर मरम्मत योग्य नहीं है।
7	20	आंगनवाडी भवन जरियाणा	18556164/30-10-2025	पूर्णतः जर्जर मरम्मत योग्य नहीं है।
8	21	आंगनवाडी भवन पलोदडा 2	18556164/30-10-2025	एक ही कार्य दो बार स्वीकृत
9	24	आंगनवाडी भवन खांखल	18556164/30-10-2025	प्रशासनिक स्वीकृत की स्वीकृत राशि में कार्य कराना सम्भव नहीं है।
10	25	आंगनवाडी भवन बाबरमाल	18556164/30-10-2025	प्रशासनिक स्वीकृत की स्वीकृत राशि में कार्य कराना सम्भव नहीं है।
11	27	आंगनवाडी भवन पिपलदरा	18556164/30-10-2025	पूर्णतः जर्जर मरम्मत योग्य नहीं है।
12	30	आंगनवाडी भवन श्यामपुरा	18556164/30-10-2025	प्रशासनिक स्वीकृत की स्वीकृत राशि में कार्य कराना सम्भव नहीं है।
13	34	आंगनवाडी भवन कतिला 2	18556164/30-10-2025	प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना में स्वीकृत

विकास अधिकारी
पंचायत समिति जयसमन्द

प्रतिलिपिः–
1. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् उदयपुर।
2. श्रीमान् अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सलूम्बर / उदयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति जयसमन्द

कार्यालय पंचायत समिति जयसमन्द जिला सलूम्बर (राज.)

क्रमांकः–एफपसंज / निर्माण / 2025–26 / ~~1020~~ 1020

दिनांकः–06 / 11 / 2025

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
जिला सलूम्बर।

विषयः– SDRF अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की तकनीकी स्वीकृति भिजवाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके कार्यालय के राजकाज पत्रांक 18556164 दिनांक 30 / 10 / 2025 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति आप श्रीमान् को अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र.सं	प्रशासनिक स्वीकृति में क्र.सं	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम / विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक	अनुमानित लागत (लाखो में)		
						श्रम	सामग्री	योग
1	9	33	06-11-2025	आंगनवाडी भवन गामडी 1	18556164/30-10-2025	0.32	1.18	1.50
2	10	34	06-11-2025	आंगनवाडी भवन बगुरवा	18556164/30-10-2025	0.38	1.12	1.50
3	11	35	06-11-2025	आंगनवाडी भवन जन्नाटा मंगरी	18556164/30-10-2025	0.56	1.94	2.50
4	12	36	06-11-2025	आंगनवाडी भवन बडगाँव 2	18556164/30-10-2025	0.56	1.44	2.00
5	16	37	06-11-2025	आंगनवाडी भवन सल्लाडा 2	18556164/30-10-2025	0.60	1.40	2.00
6	17	38	06-11-2025	आंगनवाडी भवन बुटवास	18556164/30-10-2025	0.56	1.94	2.50
7	22	39	06-11-2025	आंगनवाडी भवन पलुना	18556164/30-10-2025	0.32	1.18	1.50
8	23	40	06-11-2025	आंगनवाडी भवन गातोड 1	18556164/30-10-2025	0.56	1.94	2.50
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.32	[illegible]	[illegible]
10	26	42	06-11-2025	आंगनवाडी भवन केवडा खुर्द 1	18556164/30-10-2025	0.09	1.21	1.30
11	28	43	06-11-2025	आंगनवाडी भवन सिंघटवाडा	18556164/30-10-2025	0.24	1.76	2.00

12	29	44	06-11-2025	आंगनवाडी भवन सुसाला	18556164/30-10-2025	0.43	2.07	2.50
13	32	45	06-11-2025	आंगनवाडी भवन अमरपुरा	18556164/30-10-2025	0.21	0.98	1.19
14	33	46	06-11-2025	आंगनवाडी भवन बोवस	18556164/30-10-2025	0.32	0.89	1.21
15	35	47	06-11-2025	आंगनवाडी भवन गातोड 2	18556164/30-10-2025	0.32	1.18	1.50

विकास अधिकारी
पंचायत समिति जयसमन्द

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जिला सलूम्बर/उदयपुर।
2. श्रीमान् मख्य/अति. कार्यकारी अधिकारी जिला परिशद् सलूम्बर/उदयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति जयसमन्द

कार्यालय पंचायत समिति जयसमन्द जिला सलूम्बर (राज.)

क्रमांकः—एफपसंज / निर्माण / 2025—26 / 1034 दिनांकः—10 / 11 / 2025

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
जिला सलूम्बर।

विषयः— SDRF अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की तकनीकी स्वीकृति भिजवाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके कार्यालय के राजकाज पत्रांक 18556164 दिनांक 30 / 10 / 2025 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति आप श्रीमान् को अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र.सं	प्रशासनिक स्वीकृति में क्र.सं	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम / विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक	अनुमानित लागत (लाखों में)		
						श्रम	सामग्री	योग
1	1	100	10-11-2025	आंगनवाडी भवन आमरा	18556164/30-10-2025	0.60	1.90	2.50
2	2	101	10-11-2025	आंगनवाडी भवन डांगी खेडा	18556164/30-10-2025	0.42	1.98	2.40
3	4	102	10-11-2025	आंगनवाडी भवन धावडिया	18556164/30-10-2025	0.41	1.69	2.10
4	7	103	10-11-2025	आंगनवाडी भवन नेवातलाई 1	18556164/30-10-2025	0.20	1.30	1.50
5	19	104	10-11-2025	आंगनवाडी भवन तलाई	18556164/30-10-2025	0.42	1.08	1.50
6	31	105	10-11-2025	आंगनवाडी भवन भागल फला	18556164/30-10-2025	0.22	1.78	2.00

विकास अधिकारी
पंचायत समिति जयसमन्द

प्रतिलिपिः—
1. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् उदयपुर।
2. श्रीमान् अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सलूम्बर / उदयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति जयसमन्द

कार्यालय पंचायत समिति जयसमन्द जिला सलूम्बर (राज.)

क्रमांकः–एफपसंज/निर्माण/2025–26/ 1023

दिनांकः–07/11/2025

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
जिला सलूम्बर।

विषयः– SDRF अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की तकनीकी स्वीकृति भिजवाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके कार्यालय के राजकाज पत्रांक 18556164 दिनांक 30/10/2025 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति आप श्रीमान् को अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र.सं	प्रशासनिक स्वीकृति में क्र.सं	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम/विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक	अनुमानित लागत (लाखो मे)		
						श्रम	सामग्री	योग
1	6	77	07-11-2025	आंगनवाडी भवन खाखदरा	18556164/30-10-2025	0.42	1.88	2.30
2	18	78	07-11-2025	आंगनवाडी भवन खलुडी मंगरी	18556164/30-10-2025	0.28	1.22	1.50

विकास अधिकारी
पंचायत समिति जयसमन्द

प्रतिलिपिः–
1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जिला सलूम्बर/उदयपुर।
2. श्रीमान् मख्य/अति. कार्यकारी अधिकारी जिला परिशद् सलूम्बर/उदयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति जयसमन्द